'मैं निर्भीक चलूंगी सार्वजनिक जगहों पर'
कब सुरक्षित बनेंगे हमारे शहर बच्चियों, किशोरियों व स्त्रियों के लिए

अंजलि सिन्हा

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर - जो हर वक़्त बेतरतीब भागती भीड़ का प्रत्यक्षदर्शी होता है - उस दिन 24 जनवरी 2017 वहां एक अलग नज़ारा था, जब पोस्टर और चार्टस लिए कुछ लड़कियां, महिलाएं खड़ी थीं और आने जाने वाले लोगों से शहर को सुरक्षित बनाने के मसले पर बात कर रही थीं। यात्रीगण रूक कर देख रहे थे तथा कुछ रूक कर अपनी प्रतिक्रिया भी देते दिख रहे थे। अचानक छात्राओं का एक समूह पहुंचता है - पता चलता है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती हैं - जो कहता है कि यह तो हम सबकी आए दिन की परेशानी है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी ही चाहिए। बात करने पर पता चलता है कि शहर में लम्बे समय से महिला सशक्तिकरण के लिए सक्रिय एक संस्था की तरफ से 'सेफ दिल्ली कैम्पेन' (www.safedelhi.in) चलाया जा रहा है।

निश्चित ही यह संगठित प्रतिक्रिया कोई पहला अवसर नहीं है। जब महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली यौन हिंसा को सम्बोधित करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर सार्वजनिक दायरों को सुरक्षित बनाने की बात जोर से उठी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बंगलुरू में नये साल के अवसर पर लड़कियों, महिलाओं के साथ हुई सार्वजनिक बदसलूकी के खिलाफ व्यापक आक्रोश पैदा हुआ था। जिसकी अभिव्यक्ति देश के तमाम शहरों, नगरों में दिखाई दी थी। 'आई विल गो आउट' नाम से सोशल मीडिया पर चली मुहिम से जुड़ कर तमाम स्थानों से महिलाएं सड़कों पर एक साथ निकलीं और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि सार्वजनिक दायरों पर उनका भी उतना ही अधिकार है।

मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों तक बात पहुंचाने में लगे उन साथियों से अधिक बात करने पर पता चलता है कि वह सभी 'जागोरी' नामक संस्था से जुड़े हैं। जो पिछले कई सालों से ऐसे अभियानों का संचालन कर रही हैं। और मौजूदा मुहिम का फोकस महज लोगों में जागरूकता पैदा करना ही नहीं है बल्कि यौन प्रताडना के मसले पर दर्शक की भूमिका अपनाने के बजाय सक्रिय हस्तक्षेप हेतू आगे आने के लिए आग्रह करना भी है। वजह स्पष्ट है कि असुरक्षित वातावरण को खतम करने के लिए क़ानून का सख्ती के साथ लोगों की मानसिकता को बदलना एक स्थायी तथा दूरगामी असर डालने वाला प्रयास है। साथ ही मानसिकता बदलने की बात उत्पीड़कों के लिए तो लागू होती ही है। बल्कि उन

साधारण जनों के लिए भी उतनी ही लागू होती है। जो यौन उत्पीड़न की अनदेखी करके उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते ।

दरअसल शहर को सुरक्षित बनाने का सवाल, चहुंओर सजग वातावरण बनाने का सवाल या उसके लिए प्रचारात्मक गतिविधियां हाथ में लेने का सवाल एक तरह से शहर को या अपने आस-पास के समूचे परिवेश को नए तरीके से देखने की राह खोलता है। इस सन्दर्भ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापनरत् कानूनविद सुश्री प्रतिक्षा बक्शी के एक राष्ट्रीय अख़बार में लिखे एक लेख को याद कर सकते हैं जिसमें उन्होंने यह समझाने की कोशिश की थी कि हमारी रहने की जगहें - हमारे शहर या नगर - किस कदर जेण्डरीकृत हैं अर्थात स्त्री-पुरूषभेद पर टिके हैं। छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करके उन्होंने समझाया था कि किस तरह पितृसत्तात्मक छाप लिए शहर स्त्री की गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रीट लाइट का न होना किसी के लिए सामान्य नागरिक सुविधाओं की कमी का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह आधी आबादी को अंधेरा होते ही घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर सकता है।

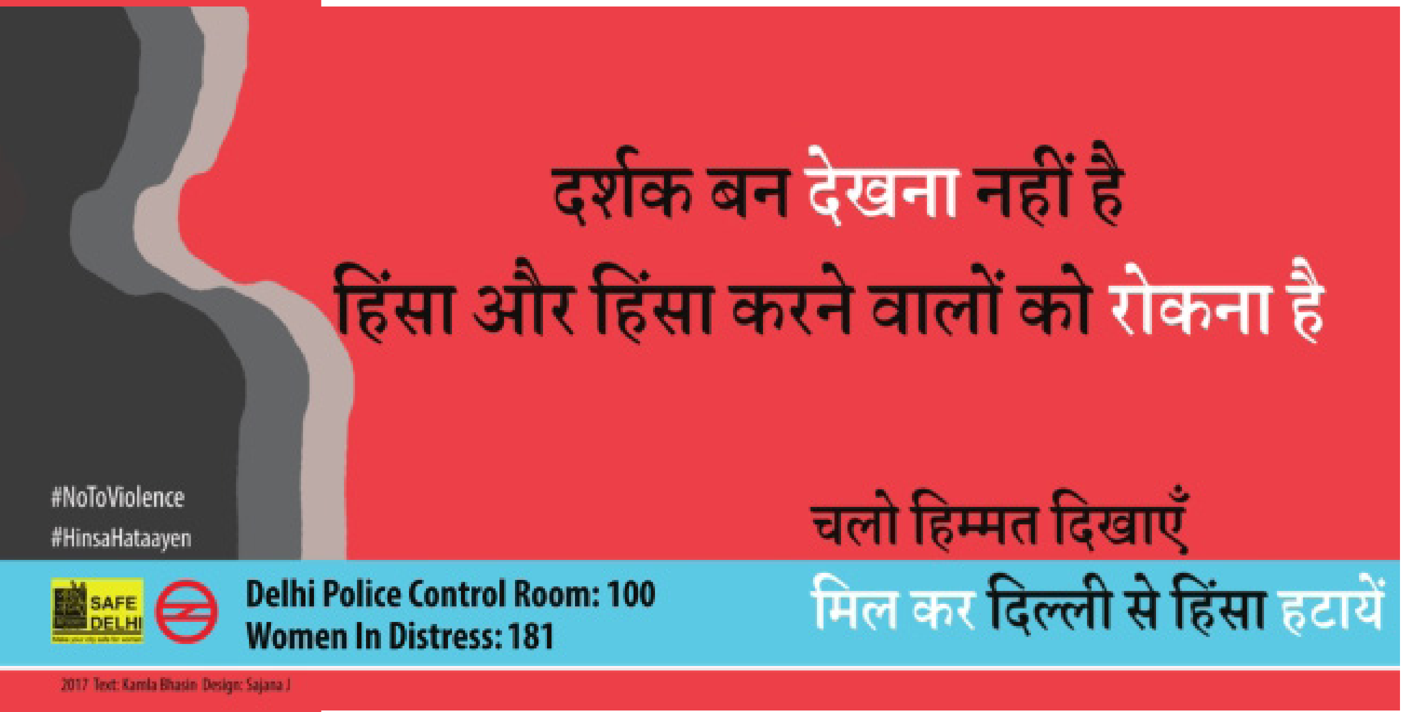

जागोरी ने सुरक्षित शहर को लेकर अपने अभियान की शुरूआत 2004 में की और वर्ष 2009 में उसने अपना एक महत्वपूर्ण अध्ययन भी पेश किया था जिसका शीर्षक था 'अण्डरस्टैण्डिंग वूमेन्स सेफटी : टूवर्डस ए जेण्डर इनक्लुसिव सिटी' जिसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष था कि शहर पर हक् के लिए सुरक्षित व सम्मिलित शहर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं एवं लड़कियों की पहुंच सार्वजनिक स्थलों तक होनी चाहिए। 'जेण्डर आधारित हिंसा को गरीबी, भेदभाव, असमावेश और शहरी विकास एवं नियोजन में जेण्डर सूचकांकों के अभाव जैसे कारकों से जोड़ा जा सकता है। जो ऐसी जगहों और ढांचों का निर्माण करते हैं, स्त्रियों और अन्य वंचित समूहों को बाहर करती हैं व सार्वजनिक जगहों के पुरूष प्रधान स्वरूप को फिर पुष्ट किया था एवम यह भी उजागर किया था कि किस तरह महिलाओं को पार्क, बस स्टॉप आदि स्थानों पर यूं ही टहलने या खड़े रहने के 'वैध कारण' बताने पड़ते हैं।' प्रस्तुत अध्ययन ने इस कड़वी सच्चाई को भी उजागर किया था कि हमारे समाज में 'हिंसा इस कदर आम बात हो चुकी है कि कामकाजी एवं मध्यमवर्गीय महिलाओं की विशाल आबादी को आए दिन हिंसा/उत्पीड़न को झेलना पड़ता है जब वह सार्वजनिक स्थलों में निकलती हैं। (http://www.safedelhi.in/sites/default/files/reports/gic-delhi-report.pdf)

यह विचारणीय मसला है कि स्त्रियों की आवाजाही पर लगी तमाम बंदिशें हटाने का सवाल, ताकि वह बेझिझक यात्रा कर सकें, अचानक पिछले कुछ वर्षों में एजेण्डा पर क्यों आया है? इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि चाहे पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए या ऐसे ही यात्राओं पर निकलने के मामले में अधिकाधिक लड़कियां, स्त्रियां सार्वजनिक दायरे में पहुंची हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि स्वयं महिलाओं में अपने प्रति स्वाभिमान, अधिकार सम्पन्नता तथा गरिमा की समझ बनी है। वे अब इस मानसिकता में नहीं हैं कि औरत हैं तो लाजिम है कि यह सब सहना है। वह इस बात को जोर से कहने लगी हैं कि इसी समाज में रहना है तो इसी में जगह बनानी है और वह भी बराबरी की शर्तों पर।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मसले पर बातें बहुत होती हैं, मगर पूरी कवायद के बाद पता चलता है कि गाड़ी वहीं अटकी हुई हैं। सोलह दिसम्बर 2012 के निर्भया वारदात के बाद दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बने एक कोर ग्रुप जिसमें यू टी पेक, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य व महिला कल्याण विभाग शामिल थे। इस कोर ग्रुप द्वारा और जस्टिस वर्मा कमेटी, महिला संस्थाओं व जनता से महिला सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव मांगे गए थे। महिलाओं एवं लड़कियों का सम्मिलित शहर पर हक़ के लिए जब सुरक्षा ऑडिट के बाद के निष्कर्ष आए तो वो आंखें खोलने वाले साबित हुए। इसमें यही पाया गया था कि 'इस मामले में शहर की बुनियादी सुविधाओं में कोई गुणात्मक फर्क नहीं पड़ा है।'(देखें, द हिन्दू, 17 अगस्त 2014) याद रहे कि इस कोर ग्रुप ने आउटर रिंग रोड, नेहरू प्लेस मेट्रो, डिस्ट्रिक सेंटर, मुनीरका महिपालपुर, द्वारका सब सिटी, धौला कुंआ, वसंत कुंज तथा शहर के कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया न उन्हें स्ट्रीट लाइट ठीक दिखी, न फूटपाथ और न ही शौचालय दुरूस्त मिले।

इस कोर ग्रुप का मकसद यही था कि पुलिस की कार्रवाई तथा महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने के अलावा यह जाना जाए कि शहर के पूरे वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए क्या-क्या करने की जरूरत है। इस समूह ने दिल्ली डेवलपमेण्ट अथारिटी की युनाइटेड ट्रैफिक एण्ड ट्रान्स्पोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेन्टर, दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग आदि से महिला सुरक्षा बेहतर करने के लिए ठोस सुझाव भी मांगे थे। डीडीए के उपरोक्त सेन्टर ने कुछ साधारण सुझाव दिए थे जिसमें सड़क पर पर्याप्त रौशनी, पर्याप्त शौचालय, सड़कों पर फेरीवालों को बढ़ावा देना ताकि वह 'सड़कों पर निगरानी' कर सकें, सुरक्षित बस स्टैण्ड और पैदल चलने के लिए ठीक फूटपाथ। उसने यह भी सुझाव दिया था कि सड़कों पर 24 घंटे गतिविधियां चलती रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक दायरे में महिलाओं को सुरक्षा देने की बात जब भी आती है, तो एक सुझाव झट्से सामने आता है कि उनके लिए विशेष बस, विशेष ट्रेन या विशेष जगह की व्यवस्था की जाए। ऐसे सुझाव महिलाओं के लिए भी खुशी का एहसास दे जाते हैं। यह अलग बात है कि ऐसे इन्तज़ाम सीमित मार्गों पर ही सम्भव हो सकते हैं। जहां सार्वजनिक दायरे में औरतें अधिक संख्या में उपस्थित नहीं हैं वहां भी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए जिससे सार्वजनिक दायरे में उनके प्रवेश के लिए प्रोत्साहन मिले।

हिंसा से उनके बचाव के लिए दो तरीके हैं या तो महिलाओं के लिये अलग सुरक्षित स्थान बनाया जाए या सभी स्थानों को सुरक्षित किया जाए। महिलाओं के साथ हिंसा होना आम बात है। पर जब कभी हिंसा का मामला उछलता है तब जाकर ही लोगों के कानों में जूं रेंगती है। और तब महिला सुरक्षा की जांच पड़ताल शुरू होने लगती है। जैसे कि लड़कियों के स्कूलों में पुरुष शिक्षकों द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना सामने आते ही उन्हें स्कूलों से हटाने की बात चल पड़ती है। या जब शौचालयों का उनके उत्पीड़न के लिये इस्तेमाल किया गया तो महिला शौचालयों पर ताला जड़ दिया गया। रात में कार्यस्थलों की असुरक्षा के कारण रात की पाली में उन्हें काम पर नहीं रखा जाता था। महिलाओं, लड़कियों के होस्टलों के गेट पर पहरेदार तैनात किए जाते रहे हैं। अधिकांश महिला छात्रावासों में नियम यही है कि अंधेरा होने के पहले ही अपने कमरों में पहुंच जाना होता है।

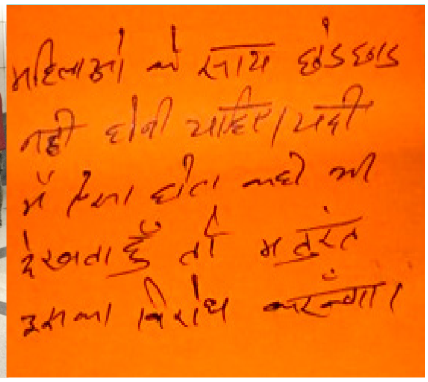

कुछ साल पहले तक ट्रेन में महिला कोच होता था लेकिन जब वह भी असुरक्षित हो गया तो खतम किया गया। उसमें चलती ट्रेन में असामाजिक तत्व जबरन अन्दर घुसकर अपराध करते थे और ट्रेन के यात्री कुछ नहीं कर पाते थे। बाद में महिला बोगी तथा फिर स्पेशल महिला ट्रेन भी चलायी गयी। फौज जैसी नौकरियां तो महिलाओं के लिये सुरक्षित नहीं मानी गयी, इसलिए उन्हें अगर लिया गया तो सीमित समय के लिए (अभी हाल में ही यह आदेश जारी हुआ है कि सेना में उन्हें स्थायी कमीशन दिया जाए।) और उन्हीं क्षेत्रों में तैनात किया गया जिन्हें 'महिला सुलभ समझा जाता था। अर्थात जहां-जहां समस्या आयी वह क्षेत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महिलाओं के लिये वर्जित क्षेत्र घोषित हो गया। सार्वजनिक सड़कों पर घुमने में औपचारिक तौर पर किसी पर कोई पाबन्दी नहीं है संविधान भी हर नागरिक को घुमने-फिरने-अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता दे देता है, लेकिन यह अघोषित फरमान होता है कि वे रात में सड़क पर ना निकले। इसके लिये क़ानून नहीं है लेकिन संकेत यही होता है कि इसका उल्लंघन करने पर इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा।

लाजिम है कि इस परिदृश्य को बदलना होगा जिसके लिए क़ानूनी बदलाव के साथ जनमानस बदलने के लिए भी पहल लेनी होगी। जैसा कि जानीमानी नारीवादी कार्यकर्ता - जागोरी की संस्थापक सदस्य कमला भसीन बताती हैं, "जब कुछ पुरूष हिंसक होते हैं, क्या बाकी पुरूष चुप रहते हैं? पुरूषों एवं लड़कों की सक्रिय सहभागिता जरूरी है ताकि शहर के सार्वजनिक दायरों को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। इससे न केवल स्त्रियों, बच्चों, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य वंचित समूहों के लिए, बल्कि समूचे शहर के फायदे के लिए जिसमें वह खुद भी शामिल है।'

शायद यही वह समझ है जिसके चलते दिल्ली को सुरक्षित बनाने की इस मुहिम का अहम नारा है 'महिलाओं की उड़ती रहे खिल्ली, कब तक खड़े खड़े देखेगी दिल्ली।'

बी-114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
फोन: 91-11-26691219/20, फैक्स: 91-11-26691221
हेल्पलाईन: 91-11-26692700/8800996640
jagori@jagori.org,
www.jagori.org, www.safedelhi.in, www.livingfeminisms.org